न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 49/2008 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :–

1. यादराम पुत्र रूडाराम
2. होशियार पुत्र मूलचन्द
3. धन्ना पुत्र मूलचन्द
4. सज्जन पुत्र मूलचन्द
5. अशोक पुत्र मूलचन्द
6. संतोष पुत्री मूलचन्द,
7. सुमन पुत्री मूलचन्द जाति समस्त जाट निवासीयान ग्राम वीरोद तहसील गुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांटस

वनाम

1 परता पुत्र देवकरण

2 जसराम पुत्र हरज्ञान

3 धनसिंह पुत्र हरज्ञान ------- मृतक

3/1 फूलवती देवी स्त्री धनसिंह

3/2 कमलेश पुत्री धनसिंह

3/3 ववली पुत्री धनसिंह,

3/4 सुशीला पुत्री धनसिंह,

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

3/5 सुनील पुत्र धनसिंह

4 रामजीलाल पुत्र हरज्ञान

5 रामसिंह पुत्र धीसा ———— मृतक

5/1 महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह

5/2 अभयसिंह पुत्र रामसिंह

5/3 मनोज पुत्र रामसिंह

5/4 उम्मेद पुत्र रामसिंह,

5/5 भरतो पुत्री रामसिंह

5/6 राजबाला पुत्री रामसिंह

5/7 बबली पुत्री रामसिंह

5/8 रायली पुत्री रामसिंह

6 मेहरचन्द पुत्र सरजीत ———— मृतक

6/1 जल्लोदेवी स्त्री मेहरचन्द

6/2 महेन्द्र पुत्र मेहरचन्द

6/3 काशीराम पुत्र मेहरचन्द

6/4 उर्मिला पुत्री मेहरचन्द

7 सरजीत पुत्र लालमन

8 रघुवीर पुत्र लालमन

9 जगदीश पुत्र लालमन

10 हुकमचन्द पुत्र लालमन

11 सूरजी स्त्री जयनारायण

12 भूतेरी पुत्री जयनारायण

13 भरपाई पुत्री जयनारायण

14 चन्द्रकला पुत्री जयनारायण

15 लीला पुत्र जयनारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

16 धनपत पुत्र जयनारायण ———— मृतक

16/1 सरोज स्त्री धनपत

16/2 रोहिताश पुत्र धनपत

16/3 यशवंत पुत्र धनपत

17 उदयभान पुत्र जयनारायण

18 घारी पुत्र जयनारायण ———— मृतक

18/1 सुनीता पुत्री घारी

18/2 पवन पुत्र घारी

19 सुरेश पुत्र जयनारायण जाति समस्त जाट निवासीयान ग्राम वीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:—'——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 26.5.2008

उपस्थित :— वकील अपीलांट :— श्री रामेश्वर दयाल

वकील रेस्पो0 :— श्री रामसिंह यादव

निर्णय दिनांक 22.10.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 710/1997 बाबत इस्तकरार हक मय हुकम इम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 26.5.2008, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी परता ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 485 मिन रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 485 मिन रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, 485 मिन रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, 485 मिन रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, 407 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 826 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, 827 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा 830 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 831 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, 893 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर प्रतिवादी नम्बर 01 ला0 3 के अलावा बाकी फरिकेन की गुश्तर्का खातेदारी बहिस्से बराबर की आराजी है, जिसका लगान अदा करते आ रहे हैं । इन आराजीयात में तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 4 ला0 6 का 1/4 भाग, तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 7 ला0 13 का 1/4 भाग और वादी व प्रतिवादी नम्बर 14 का 1/2 हिस्सा है । हरदयान, घीसा व लालमन फौत हो चुके हैं । सम्वत 2029 की जमाबन्दी में असल प्रतिवादीगण के पिता घीसा का नाम 1/2 भाग पर गलत आ गया है । इसी प्रकार से परता का नाम, जो जयनारायण के साथ था, में इन्द्राज होना था, वह भी नहीं हुआ और मृतक लालमन व घीसा के नाम 1/4 भाग होना था, वह भी गलत तौर पर भू प्रबन्ध वालों ने 1/2 भाग कर दिया । खसरा नम्बरान हाल में इस प्रकार हिस्से का इन्द्राज किया गया और इसी प्रकार जयनारायण पुत्र देवकरण का 1/2 भाग दर्ज होना चाहिये था, उसके स्थान पर 1/4 भाग ही दर्ज किया है । सम्वत 2029 की जमाबन्दी तैयार करते समय इससे पूर्व की जमाबंदियों के इन्द्राज पर गौर नहीं किया और गलत तौर पर हिस्से दर्ज कर दिये । प्रतिवादी नम्बर 01 ला0 3 का आराजी में कोई हिस्सा नहीं है । इसलिये असल प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी सम्वत 2029 से ताहाल तक कलमजन किया जावे । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 26.4.2008 द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील पेश की गई है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी पर वादी रेस्पो0 का कभी कब्जा नहीं रहा है । तहत अदालत ने वाद पत्र एवं हमारे जवाब दावे के आधार पर सही प्रकार से तनकियात कायम नहीं की । वादी असल रेस्पो0 परता ने तनकी नम्बर 01 में दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया है कि वह किस आधार पर अपने आपको विवादित आराजी में 1/4 भाग का खातेदार बताता है तथा उसे यह भी साबित करना था कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वो असल प्रतिवादी अपीलांटस का नाम किस कारण से हटवाना चाहता है । तहत अदालत ने तनकी नम्बर 01 का निर्णय वादी के पक्ष में करने हेतु दस्तावेजों प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2020, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2013, प्रदर्श – 9 व प्रदर्श–10 का सहारा लिया है, जबकि इन अभिलेखों में वादी परता अथवा उसके पिता देवकरण के नाम का अंकन किसी भी रूप में नहीं है । तहत अदालत ने अपने निर्णय के पद संख्या 10 में यह दर्ज किया है कि वादी परता अथवा उसके पिता देवकरण के नाम का कहीं इन्द्राज नहीं है और ना ही ये कभी काबिज हुये । इसके बावजूद तनकी नम्बर 01 वादी असल रेस्पो0 परता के पक्ष में निर्णीत कर दी । विवादित आराजी हम अपीलांटस प्रतिवादीगण की 1/4 भाग की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । यह भूमि वक्त सैटिलमैंट हमारे खुदकाश्त की थी तथा राजस्व रेकार्ड में रूडिया पुत्र गोपाल का 1/4 हिस्सा है । परन्तु इस तथ्य पर तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर तनकी नम्बर 2 व 3 का निर्णय कर दिया । तनकी नम्बर 4, 5 व 6 अनावश्यक थी । अनावश्यक होते हुये भी ये तनकियात विरचित कर इनका निर्णय कर दिया गया । उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील वादी रेस्पो0 ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी में असल प्रतिवादीगण अपीलांटस का हिस्सा नहीं था । सम्वत 2029 में गलत तौर पर इनका नाम आ गया । सम्वत 2012 में वादी के पिता देवकरण के नाम का अंकन है । सम्वत 2016 की जमाबन्दी भी देवकरण के नाम है । हमने दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद पत्र को साबित कराया है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । लिहाजा अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने विचारण अपील रेस्पो0 संख्या 3 धनसिंह, रेस्पो0 संख्या 5 रामसिंह, रेस्पो0 संख्या 6 मेहरचन्द, रेस्पो0 संख्या 16 धनपत एवं रेस्पो0 संख्या 18 फौत हो गये थे, जिनके वारिसान को रेकार्ड पर लेने के प्रार्थना पत्रों को अदालत हाजा के आदेश दिनांक 29.11.2019 द्वारा स्वीकार किये गये थे ।

6 प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । वादी ने वाद पत्र में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रकट किये हैं कि विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है, असल प्रतिवादीगण के पिता रूडा का नाम सम्वत

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2029 में गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया, विवादित आराजी में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता० 6 का 1/4 भाग, तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता० 13 का 1/4 भाग और वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 का 1/2 भाग है । परन्तु सम्वत 2029 में प्रतिवादीगण असल के पिता रूड़ा का नाम 1/2 भाग पर दर्ज कर दिया गया । मृतक लालमन व घीसा के नाम 1/4 भाग होना था, वो 1/2 भाग कर दिया, जयनारायण पुत्र देवकरण का 1/2 भाग दर्ज होना चाहिये था, उसे 1/4 भाग दर्ज कर दिया । जयनारायण के साथ वादी परता का नाम दर्ज होना चाहिये, वो दर्ज नहीं किया । इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 प्रदर्श–1 में साविक खसरा नम्बरान 485 मिन रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा से हाल नम्बर 826 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 485 मिन रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा से हाल नम्बर 827 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, साविक नम्बर 485 मिन रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा से हाल नम्बर 830 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, साविक नम्बर 485 मिन रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा से हाल नम्बर 831 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा और साविक नम्बर 487 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा से हाल नम्बर 893 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा बनाये गये हैं । जमाबन्दी सम्वत 2020 प्रदर्श–2 में खसरा नम्बर 485 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा एवं 487 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा पर घीसा वगैरा मुन्दर्जे खाता नम्बर 53 बकाश्त घीसा वगैरा मुन्दर्जे खाता नम्बर 53 एक चौथाई, जयनारायण पिसर देवकरण, मनोज, हरध्यान पिसरान राधा एक चौथाई का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2016 में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बरान 485 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा व 487 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा पर घीसा वगैरा 1/4 भाग, जयनारायण निस्फ भाग, हरध्यान 1/4 भाग का अंकन है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 में विवादित आराजी पर जयनारायण की 1/2 भाग पर, घीसा व चेतराम की 1/4 भाग पर तथा हरध्यान की 1/4 भाग पर काश्त दर्ज की हुई है । जमाबन्दी सम्वत 2012 प्रदर्श–5 के कृषक के कॉलम में घीसा वगैरा एक चौथाई, जयनारायण वगैरा 1/2, हरध्यान वगैरा एक चौथाई का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2020 प्रदर्श–6 में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 485 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा पर घीसा वगैरा मुन्दर्जे खाता नम्बर 186 बकाश्त देवकरण 16 हिस्सा, लालमन, सूडा समभाग 10 हिस्सा, घीसा व श्योराम समभाग 5 हिस्सा, चेतराम एक हिस्सा कुल 32 हिस्सा मजकूर का अंकन है । इसका तात्पर्य

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

यह है कि आराजी साविक खसरा नम्बर 485 के कुल 32 हिस्से इस जमाबन्दी में है और उन 32 हिस्सों में से 16 हिस्से यानि 1/2 भाग पर देवकरण का कब्जा काश्त रहा है । इसी प्रकार इस जमाबन्दी में खसरा नम्बर 487 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा पर घीसा वगैरा गुन्दर्जे खाता नम्बर 186 बकाश्त चेताराम निरफ, देवकरण निरफ का अंकन है । जमाबन्दी प्रदर्श –8 में विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 485 व 487 में घीसा वगैरा एक चौथाई, जयनारायण पुत्र देवकरण निरफ, हरध्यान पुत्र राधा एक चौथाई का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2025 प्रदर्श–9 में विवादित आराजीयात पर घीसा वगैरा गुन्दर्जे खाता नम्बर 53 बकाश्त घीसा वगैरा मुन्दर्जे खाता नम्बर 53 एक चौथाई, जयनारायण पुत्र देवकरण निस्फ, हरध्यान पुत्र राधा एक चौथाई का अंकन है । जमावन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श ए–1 में विवादित हाल खसरा नम्बरान 826 रकवा 01 बीघा 5 बिस्वा, 827 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, 830 रकवा 01 बीघा 12 बिस्वा, 831 रकवा 01 बीघा 13 बिस्वा, 893 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किता 5 कुल रकवा 7 बीघा 01 बिस्वा पर घीसा, दोडिया नवीरा श्योसहाय समभाग 1/2, लालमन, शादिया पिसरान हरफूल समभाग 1/4 भाग व रूडिया पुत्र गोपाल 1/4 कौम जाट साकिन देह खातेदार का इन्द्राज किया हुआ है । जमावन्दी सम्वत 2048 प्रदर्श–10 में रामसिंह पुत्र घीसा 1/2, लालमन, शादिया पिसरान हरफूल समभाग 1/4, मूलचन्द, याददाराम, होश्यारसिंह पिसरान रूडा 1/4 खातेदार का अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2034 प्रदर्श–14 में विवादित आराजी पर घीसा, धोडिया नवीरा श्योसहाय समभाग 1/2, लालमन, शादिया पिसरान हरफूल समभाग 1/4 भाग व रूडिया पुत्र गोपाल 1/4 खातेदार का अंकन है ।

उपरोक्त समस्त राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि बंदोबस्त सम्वत 2029 से पूर्व के रेकार्ड में विवादित भूमि का 1/2 भाग वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 के पिता देवकरण के नाम था । देवकरण के बाद सम्वत 2029 से पूर्व उक्त आराजी का 1/2 भाग अकेले देवकरण के पुत्र प्रतिवादी नम्बर 14 जयनारायण के नाम दर्ज कर दिया गया, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2020, 2016, खसरा गिरदावरी सम्वत 2013, जमाबन्दी सम्वत 2012, 2025 से सिद्ध है । उक्त आराजी जयनारायण के साथ साथ देवकरण के दूसरे पुत्र वादी परता के नाम भी दर्ज होनी चाहिये थी । इस सम्बन्ध में स्वयं प्रतिवादी जयनारायण ने इकवाल दावा में स्वीकार किया है कि जयनारायण के नाम के साथ साथ

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वादी परता का भी नाम दर्ज होना चाहिये । इसके बाद सम्वत 2029 में विवादित भूमि के 1/4 भाग पर आराल प्रतिवादीगण के पिता रूडा को खातेदार दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त रूडा का नाम सम्वत 2029 से पूर्व के राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, ना ही तत्तसमय किसी खसरा गिरदावरी में रूडा की काश्त दर्ज है । इसी प्रकार सम्वत 2029 से पूर्व प्रतिवादी नम्बर 7 के पिता धीसा व प्रतिवादी संख्या 8 ला0 13 के पिता लालमन का 1/4 हिस्सा था, परन्तु सम्वत 2029 में धीसा वगैरा का नाम 1/2 भाग पर दर्ज कर दिया गया । बंदोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राजों को केवल दोहराने का ही अधिकार है, इन्द्राज परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में वादी रेस्पो0 के वाद पत्र की ताईद होती है । इसलिये हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.4.2008 यथावत रखे जाते है। । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । फैसल शुमार हो ।

22/10/2021

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 49/2008 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :–

1. यादराम पुत्र रूडाराम
2. होशियार पुत्र मूलचन्द
3. धन्ना पुत्र मूलचन्द
4. सज्जन पुत्र मूलचन्द
5. अशोक पुत्र मूलचन्द
6. संतोष पुत्री मूलचन्द,
7. सुमन पुत्री मूलचन्द जाति समस्त जाट निवासीयान ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——— अपीलांटस

बनाम

1 परता पुत्र देवकरण
2 जसराम पुत्र हरज्ञान
3 धनसिंह पुत्र हरज्ञान ——— मृतक

3/1 फूलवती देवी स़्त्री धनसिंह

3/2 कमलेश पुत्री धनसिंह

3/3 बबली पुत्री धनसिंह,

3/4 सुशीला पुत्री धनसिंह,

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

3/5 सुनील पुत्र धनसिंह

4 रामजीलाल पुत्र हरज्ञान

5 रामसिंह पुत्र धीसा ——— मृतक

5/1 महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह

5/2 अभयसिंह पुत्र रामसिंह

5/3 मनोज पुत्र रामसिंह

5/4 उम्मेद पुत्र रामसिंह,

5/5 भरतो पुत्री रामसिंह

5/6 राजबाला पुत्री रामसिंह

5/7 बबली पुत्री रामसिंह

5/8 रायली पुत्री रामसिंह

6 मेहरचन्द पुत्र सरजीत ——— मृतक

6/1 जल्लोदेवी स्त्री मेहरचन्द

6/2 महेन्द्र पुत्र मेहरचन्द

6/3 काशीराम पुत्र मेहरचन्द

6/4 उर्मिला पुत्री मेहरचन्द

7 सरजीत पुत्र लालमन
8 रघुवीर पुत्र लालमन
9 जगदीश पुत्र लालमन
10 हुकमचन्द पुत्र लालमन
11 सूरजी स्त्री जयनारायण
12 भूतेरी पुत्री जयनारायण
13 भरपाई पुत्री जयनारायण
14 चन्द्रकला पुत्री जयनारायण
15 लीला पुत्र जयनारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

16 धनपत पुत्र जयनारायण ———— मृतक

16/1 सारोज स्त्री धनपत

16/2 रोहिताश पुत्र धनपत

16/3 यशवंत पुत्र धनपत

17 उदयभान पुत्र जयनारायण

18 घासी पुत्र जयनारायण ———— मृतक

18/1 सुनीता पुत्री घासी

18/2 पवन पुत्र घासी

19 सुरेश पुत्र जयनारायण जाति समस्त जाट निवासीयान ग्राम वीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:–'——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 26.4.2008

उपस्थित :– वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

वकील रेस्पो0 :– श्री रामसिंह यादव

पर्चा डिक्री — दिनांक 22.10.2021

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.4.2008 यथावत रखे जाते है।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर